भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
गोरखपुर

आ दे श
दिनांकः 28-11-2008

दिनांक 09-10-2002 के वलेख/ज्ञापन द्वारा गठित संस्था/ट्रस्ट **प्रोगेसिव एजेन्सी द् हयूमीनीटी, बी-2/3, सेक्टर-13, गीडा, सहजनवां, गोरखपुर** का आयकर अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 17-11-2008 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है । प्रश्नगत न्यास/संस्था का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अंतर्गत दिनांक 17-11-2008 से पंजीयन स्वीकृत किया जाता है ।

इस संस्था/ट्रस्ट का पंजीयन, निर्दिष्ट पंजिका के कम संख्या 132 पर अंकित है ।

ह0
(आर0एन0 चौधरी)
आयकर आयुक्त, गोरखपुर

फा0सं0 आ0आ0/मु0-1/132/08-09 / 11907

दिनांकः 28-11-2008

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u> :-

1- अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-1, गोरखपुर
2- आयकर अधिकारी, वार्ड-1(3), गोरखपुर
3- सचिव/अध्यक्ष, **प्रोगेसिव एजेन्सी द् हयूमीनीटी, बी-2/3, सेक्टर-13, गीडा, सहजनवां, गोरखपुर**

संजीव

(एस0के0 लाल)
आयकर अधिकारी (मु0)
कृते आयकर आयुक्त, गोरखपुर

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
गोरखपुर

फा0सं0: आ0 आ0/मु0-1/132/08-09 | 1197 दिनांक: 28-11-2008

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
प्रोगेसिव एजेन्सी द् हयूमीनीटी,
बी-2/3, सेक्टर-13, गीडा,
सहजनवां, गोरखपुर

विषयःआयकर अधिनियम की धारा 80G(5)(vi) के अधीन मान्यता प्रदान करने के सबंध में -

उपरोक्त विषय पर दिनांक 17-11-2008 को प्राप्त आपकी याचिका (पीटिशन) के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था/ट्रस्ट **प्रोगेसिव एजेन्सी द् हयूमीनीटी, बी-2/3, सेक्टर-13, गीडा, सहजनवां, गोरखपुर** को आयकर अधिनियम की धारा **80G(5)(vi)** के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है । यह मान्यता दिनांक 28-11-2008 से 31-03-2010 तक वैध है ।

ह0
(आर0एन0 चौधरी)
आयकर आयुक्त, गोरखपुर

नोट-

1- दानदाता को जारी किए गए रसीद में इस आदेश की संख्या लिखी होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी लिखा हो कि यह प्रमाण-पत्र दिनांक 28-11-2008 से 31-03-2010 तक वैध है ।

2- प्राप्तियों एवं खर्चो के हिसाब का वार्षिक विवरण निर्धारण अधिकारी के पास प्रस्तुत करें ।

3- यदि इस सूचित प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करवाना हो तो उक्त निर्धारण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करें । आवेदन के साथ प्राप्तियों एवं खर्चो के हिसाब की नकल और नियम व विनियम में यदि कोई परिवर्तन किया गया हो तो उसके रद्दो-बदल को सूची में अवश्य संलग्न करें ।

<u>समसंख्यक एवं दिनांक से प्रतिलिपि प्रेषित</u>

1- उक्त आवेदक को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित ।

2- निर्धारण अधिकारी, वार्ड-1(3), गोरखपुर को अभ्युक्ति के साथ सूचनार्थ कि वह इन आय व व्यय के वार्षिक लेखों की छानबीन कर लें जिन्हें आवेदक ने दिनांक की बोर्ड आदेश संख्या 30 फा0सं0 20/39 आयकर (ए) में विहित अनुदेशों के सदंर्भ में सालाना पेश किया है । साथ ही इस पर मुक्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए यदि कोई अनुवर्ती आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त होता है तो इसके पाने के 5 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सहित अपने आयकर अपर आयुक्त के माध्यम से इसे हमारे पास भेज दें ।

3- अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-1, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

4- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नयी दिल्ली को सूचनार्थ ।

(एस0के0 लाल)
आयकर अधिकारी (मु0)
कृते आयकर आयुक्त, गोरखपुर

आयकर आयुक्त गोरखपुर

Scanned with CamScanner